

5/11/24

पत्रावली पेश करी वहील परकारान अफण
उपस्थान अधिवक्ताको री बहस हुनी गरी
पुस्तक बहस व सम्पूर्ण पत्रावली के
अवलोकन के आधार पर पत्रावली (र.३)
मूल बाद् के अन्तिम निस्तान तत्र
कर्म की जाती है पत्रावली फैलल
शुमार होकर बाद् तत्काल दाखिल
दफ्तर हो। आदेश हुने न्यायालयमे
सुनाया गया।

[Signature]
उपस्थान अधिवक्ता
सोमर से